



2026:AHC: 10921

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43715/2025

नूरुल हसन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: राज किशोर यादव, रवींद्र कुमार यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या-2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. पी. शुक्ला को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 2- याचिकाकर्ता द्वारा केस संख्या 00009 वर्ष 2025 दाखिल करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। उक्त कार्यवाही को प्रत्यर्थी संख्या 2-उप जिलाधिकारी, तहसील-बुढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त से व्यथित होकर याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 31.07.2025 को एक पुनर्स्थापना आवेदन दायर किया गया था।
- 3- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आवेदन अभी भी विचाराधीन है और आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- 4- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपरोक्त रिकॉल आवेदन पर शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
- 5- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थी संख्या 2 को उपरोक्त वाद का विधि के अनुसार कड़ाई से, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः दो माह की अवधि के भीतर निर्णय करने का निर्देश देते हुए किया जाता है, लेकिन बिना किसी विधिक बाधा के अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।